निर्णय बइजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 11/2022 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये सरोज मीणा प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री सुरेश कुमार लढ्ढा पुत्र श्री सोहन लाल निवासी प्लाट नं. 27, मानसरोवर कालोनी, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 19 किलोग्राम क्षमता के 11 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर (6 एच पी सी+4 आईओसी+1 बीपीपी) मय एलपीजी 111.35 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अब्दुल कयाम अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 24.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार विकास समिति मानसरोवर कालोनी झोटवाडा जयपुर द्वारा प्रस्तुत शिकायत के कम में दिनांक 10.06.2022 को प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं उपस्थित मौतबिरान मकान नम्बर 234, मानसरोवर कालोनी झोटवाडा जयपुर की अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार लढ्ढा की उपस्थिति में जांच की गई । जिन्होंने बताया कि माहेश्वरी केटर्स उनकी पत्नी अलका माहेश्वरी के नाम से है एवं इसका संचालन स्वयं उसके द्वारा किया जाता है। श्री सुरेश कुमार लढ्ढा की उपस्थित में प्लाट का निरीक्षण करने पर एक वाणिज्यक सिलेण्डर बी पी सी क्षमता 19 कि.ग्रा. 2 रेग्यूलेटर व पाईप से जोड कर भट्टी पर बेसन सिकाई का कार्य किया जा रहा था एवं दूसरा वाणिज्यिक सिलेण्उर 19 किग्रा क्षमता एच पी रेग्यूलेटर व रबड पाईप से भट्टी को जोड़ कर चासनी तैयार की जा रही थी। मौके पर 9 वाणिज्यक सिलेण्डर क्षमता 19 किलोग्राम 5 एच पी सी 4 आईओसी ओर रखे हुये पाये गये । मौके पर राजेन्द्र गैस सर्विस के हॉकर को साल्टर मशीन सहित बुला कर समस्त 11 सिलेण्डरों को तौल कराने पर कुल 111.325 किलोग्राम एल पी जी पाई गई। मौके पर श्री सुरेश कुमार लढ्ढा द्वारा उक्त सिलेण्डरों क सम्बन्ध में कोई दस्तावेज या डायरी प्रस्तुत नहीं की गई । श्री सुरेश कुमार द्वारा बताया गया कि कोई राजू नाम के व्यक्ति द्वारा सिलेण्डरों की आपूर्ति की

जिला कलक्टर
जयपुर

जाती है जो पिंक सिटी इण्डेन सीतापुरा से आता है । मौके पर इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । इस प्रकार का अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार लढढा द्वारा बिना दस्तावेज एलपीजी गैस का अवैद्य भण्डारण कर, कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 19 किलोग्राम क्षमता के 11 गैस सिलेण्डर मय 111.35 किलोग्राम एल पी जी व 2 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से श्री बाबू लाल चौधरी पुत्र श्री नारायण लाल निवासी बालाजी विहार 9, 89, गोविन्दपुरा झोटवाडा जयपुर प्रतिनिधि मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस जयपुर की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः 11 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय एल पी जी को राजसात करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी.ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 17.06.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. एवं अन्य सामग्री का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री अब्दुल कयाम ने वकालतनामा पेश तथा जवाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्लाट का निरीक्षण करने पर एक वाणिज्यक सिलेण्डर बी पी सी क्षमता 19 कि॰ग्रा॰ 2 रेग्यूलेटर व पाईप से जोड़ कर भट्टी पर बेसन सिकाई का कार्य किया जा रहा था एवं दूसरा वाणिज्यिक सिलेण्डर 19 किग्रा क्षमता एच पी रेग्यूलेटर व रबड पाईप से भट्टी को जोड कर चासनी तैयार की जा रही थी। मौके पर 9 वाणिज्यक सिलेण्डर क्षमता 19 किलोग्राम 5 एच पी सी 4 आई ओ सी ओर रखे हुये पाये गये । मौके पर राजेन्द्र गैस सर्विस के हॉकर को साल्टर मशीन सहित बुला कर समस्त 11 सिलेण्डरों को तौल कराने पर कुल 111.35 किलोग्राम एलपीजी पाई गई। एल पी जी विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आती है। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति के 100 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक पदार्थ नहीं रख सकता है। मौके पर श्री सुरेश कुमार लढ्ढा द्वारा उक्त सिलेण्डरों क सम्बन्ध में कोई दस्तावेज या डायरी प्रस्तुत नहीं की गई । अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के 100 किलोग्राम से अधिक एलपीजी का अवैद्य भण्डारण किया जाकर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000, एवं विस्फोटक प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 11 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एल.पी.जी.111.35 किलोग्राम को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्उन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि मिन उत्तरदाता द्वारा विगत काफी वर्षो से अपनी फर्म माहेश्वरी केटर्स के नाम से 272 मानसरोवर कालोनी कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर मे केटरिंग का कार्य किया जा रहा है एवं खाद्य वस्तुए

जिला कलक्टर
जयपुर

बनाई जाती है जिसके लिए मिन अप्रार्थी उत्तरदाता द्वारा नियमानुसार राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग से फूड सेफ्टी लाइसेन्स अन्तर्गत एफ सी सी एक्ट 2006 के तहत प्राप्त किया हुआ है जिसका लाईसेन्स नम्बर 12222026001317 है। अप्रार्थी ने अपने केटरिंग के कार्य हेत विधिवत रूप से कामर्शियल गैस कनेक्शन प्राप्त कर रखे है जिनके विल वाउचर व अन्य दस्तावेजात अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा गलत सूचना के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है अप्रार्थी के पास से जो सिलेण्डर जब्त किये गेय है वे सभी कामर्शियल सिलेण्डर है एवं सभी वैद्य कनेक्शन से प्राप्त किये हुये है कोई भी सिलेण्डर अवैद्य रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा था मिन अप्रार्थी उत्तरदाता द्वारा अपने पंजीकृत फर्म माहेश्वरी केटर्स के नाम से विधिनुसार नियमो का पालना करते हुऐ खाद्य पदार्थ बनाने का कार्य अर्से दराज से किया जा रहा है अप्रार्थी के केटरिंग व्यवसाय के खिलाफ कोई शिकायत इस प्रकरण से पूर्व नहीं हुई है। अप्रार्थी की फर्म पंजीकृत फर्म है। जिसका रजिस्ट्रेश नम्बर 08ALBPA7460JIZ6 है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व संस्थित प्रकरण को खारिज फरमाया जावे तथा जब्त शुदा 11 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एल पी जी, दो रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को रिलीज करने के आदेश फरमावें।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 10.06.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
7. अप्रार्थी द्वारा माहेश्वरी केटर्स के नाम से केटरिंग का कार्य किया जाता है। जिसके लिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन से 19 किलोग्राम क्षमता के 5 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर्स का माहेश्वरी कैटर्स के नाम से कनेक्शन प्राप्त कर रखा है। जिसके अनुसार अप्रार्थी केवल 5 वाणिज्यक सिलेण्डर तक ही अपने पास रख सकता है। जवकि अप्रार्थी के पास 11 वाणिज्यिक सिलेण्डर मिले है और 100 किलोग्राम से अधिक 111.35 किलोग्राम एल॰पी॰जी॰ पाई गई है। एलपीजी विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आती है। सौ किलोग्राम से अधिक एलपीजी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भण्डारित नहीं की जा सकती है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञा 111.35 किलोग्राम गैस का भण्डारण किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप प्रार्थी से जब्त शुदा 11 वाणिज्यक सिलेण्डर में से कनेक्शन युक्त 5 सिलेण्डर मय एलपीजी को रिलीज करते हुये शेष 6 सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त शुदा 11 वाणिज्यक सिलेण्डर में से कनेक्शन युक्त 5 सिलेण्डर मय एलपीजी को रिलीज करते हुये शेष 6 सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार 6 सिलेण्डर्स के अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
10. निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

कलक्टर जिला, जयपुर